(1)

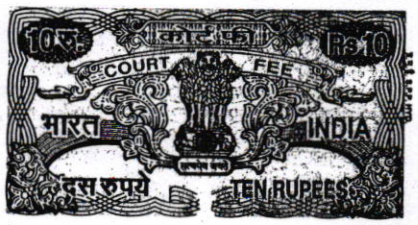

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर जिला ग्वालियर म०प्र०

-=-

प्रकरण क्रमांक P 1308-PBR-17 सन् 2017

राज
ध्रुवसिंह तनय मोहन ठाकुर निवासी ग्राम- पीरा

तहसील बड़ामलहरा जिला छतरपुर म०प्र० --- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

निर्मल तनय स्वं अंतराम तिवारी निवासी ग्राम-पीरा

हाल गुलगंज तहसील बड़ामलहरा जिला छतरपुर म०प्र० --- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता

-=-

निगरानी विरूद्ध न्यायालयअनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़ामलहरा के राजस्व प्रकरण क्रं 89/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 27.4.2017 से दुखित होकर ।

-=-

धर्मेन्द्र चतुर्वेदी म.प्र. 02.5.17 को
2.5.17

महोदय ,

प्रार्थी/आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न निगरानी पेश कर विनय है

1- यह किअधीनस्थ न्यायालय में उत्तरवादीद्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक।164 /ब 121/13-14 में पारित आदेश दिनांक 3.12.14 से दुखित होकर अपील प्रस्तुत की थी जबकि उक्त अपील प्रस्तुत करने का अधिकार उत्तरवादी/अनावेदक को नहीं था व उक्त अपील में अनावेदक का यह अभिवचन था कि मेरे स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि पर आवेदक /निगरानीकर्ता द्वारा गलत तरीके से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है जबकि निगरानीकर्ता /आवेदक उक्त भूमि पर कब्जाधारी है व निगरानीकर्ता का उक्त भूमि पर मकान बन चुका है ।

2- यह कि उत्तरवादी द्वारा उक्त अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरवादी के स्वत्व एवं अधिपत्य के संबंध में कोई भी दस्तावेज अर्थात विक्रय पत्र ग्राम पंचायत का प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है लेकिन इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दबाव वस दवाव में आकर उत्तरवादी को जानकारी होते हुए भी धारा 5म्याद अधि. का आवेदक पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है ।

(3)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1308-एक/17 जिला - छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा के प्रकरण क्रमांक 89/अपील/15-16 में पारित अंतरिम आदेश आदेश दिनांक 27-4-17 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-44(2) के तहत पेश की गई है। 2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 3-2-14 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसके साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । उनके इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण सुनने की अधिकारिता नहीं है । अनावेदक को प्रकरणकी जानकारी प्रारंभ से रही है । उसका कोई हित प्रकरण में नहीं है इसलिए उसे अपील करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय में नहीं था । 4- अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । 5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार के उपरांत अनावेदक का आवेदन सद्भाविक एवं विलंब का कारण युक्तियुक्त होने से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्वीकार करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत गया है । विलंब क्षमा करना यह अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर है वरिष्ठ न्यायालय केवल यह देख सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग विधिवत किया है या नहीं । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब को क्षमा करते हुए प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया गया है उनके इस आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता या विधिक त्रुटि नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध् है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये । प्रशासकीय सदस्य	